सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना लोटन पुलिस टीम द्वारा कुल 750 KG चीनी (15 बोरी), 315 KG मैदा (07 बोरी), 60 KG सोयाबीन (03 बोरी), 19.2 KG तीली का तेल (02 गत्ता), 107 KG रिफाइंड तेल (10 गत्ता 650 ML की & 07 गत्ता 300 ML की) के साथ 01 नफर अभियुक्त मय 01 अदद टेम्पू को बरामद कर अन्तर्गत धारा-11 कस्टम अधिनियम में कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में हरीओम कुशवाहा थानाध्यक्ष लोटन मय टीम द्वारा आज दिनांक 07/07/2026 को अपराध एवं अपराधियों व रोकथाम तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना लोटन पुलिस टीम के द्वारा 750 KG चीनी (15 बोरी), 315 KG मैदा (07 बोरी), 60 KG सोयाबीन (03 बोरी), 19.2 KG तीली का तेल(02 गत्ता), 107 KG रिफाइंड तेल (10 गत्ता 650 ML की & 07 गत्ता 300 ML की) के साथ एक अभियुक्त को मय टेम्पू के साथ भारत नेपाल राष्ट्र को जाने वाली पिलर संख्या 539 के पास से इण्डो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान बरामद किया गया बरामद शुदा सामान को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

01.दुर्गेश यादव पुत्र रामवृक्ष यादव साकिन हरिवंशपुर थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

02.उ0नि0 राहुल गुप्ता चौकी प्रभारी हरिवंशपुर थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

03.मु0आ0 गांगुली कुमार चौकी हरिवंशपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

04.मु0आ0 मो0 खुर्शीद चौकी हरिवंशपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना लोटन पुलिस टीम द्वारा 325 KG रिफाइंड तेल (45 गत्ता 650 ML की & 05 गत्ता 325 ML की) व 50 KG नमक (02 बोरी) के साथ 01 नफर अभियुक्त मय 01 अदद ई-रिक्शा को बरामद कर अन्तर्गत धारा-11 कस्टम अधिनियम में कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में हरीओम कुशवाहा थानाध्यक्ष लोटन मय टीम द्वारा आज दिनांक 07/07/2026 को अपराध एवं अपराधियों व रोकथाम तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना लोटन पुलिस टीम के द्वारा 325 KG रिफाइंड तेल (45 गत्ता 650 ML की & 05 गत्ता 325 ML की) व 50 KG नमक (02 बोरी) के साथ एक अभियुक्त को मय ई-रिक्शा के साथ वहद गांव बड़हरा से नेपाल राष्ट्र को जाने वाली पकडण्डी से इण्डो नेपाल बॉर्डर पर पर चेकिंग के दौरान बरामद किया गया बरामद शुदा सामान को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.प्रवीन प्रजापति पुत्र सुरेश प्रसाद साकिन धरमौली थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

02.उ0नि0 राहुल गुप्ता चौकी प्रभारी हरिवंशपुर थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

03.मु0आ0 गांगुली कुमार चौकी हरिवंशपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

04.मु0आ0 मो0 खुर्शीद चौकी हरिवंशपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 07.07.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई के दौरान कुल 16 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिसमें 02 भूमि विवाद, 04 पारिवारिक विवाद व शेष 10 अन्य से सम्बंधित थे। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 (द्वितीय चरण) के तहत थाना उसका बाजार मिशन शक्ति टीम द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम गौरा फुलवरिया की महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान, नये कानून, साइबर अपराध सुरक्षा व एंटी रोमियो अभियान के तहत जागरूक किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौरयान के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह थाना उसका बाजार के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम में थाना उसका बाजार मिशन शक्ति टीम द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम गौरा फुलवरिया की महिलाओं/बालिकाओं को महिला संबंधी अपराध, साइबर अपराध व उससे बचाव के संबंध मे जागरुक किया गया तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सम्बन्धित विभिन्न सरकारी योजनाओं- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व बहू सम्मेलन अभियान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष,नारी शक्ति वंदन अधिनियम,मातृ शक्ति को सम्बल,निराश्रित महिला पेंशन योजना,मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया तथा मिशन शक्ति फेज 05 (द्वितीय चरण) कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण,एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी देते हुए विभिन्न कल्याणकारी हेल्पलाइन नंबरों-112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन, 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 181 वीमेन हेल्पलाइन, 101अग्निशमन सेवा आदि के बारे में जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति टीम थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर -

1.उ0नि0 जयप्रकाश पांडेय

2.हे0का0 शैलेन्द्र गिरि

3.म0का0 खुशबू सिंह

4.म0का0 कालिंदी

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत थाना त्रिलोकपुर मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम- नंगा महादेव की महिलाओं/ बालिकाओं को एकत्रित कर महिला अपराध, साइबर अपराध व उससे बचाव के सम्बन्ध मे जागरूक किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में व बृजेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक हरेकृष्ण उपाध्याय थाना त्रिलोकपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.07.2026 को थाना त्रिलोकपुर मिशन शक्ति टीम द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम- नंगा महादेव की बालिकाओं/ महिलाओं को एकत्रित कर महिला संबंधी अपराध, साइबर अपराध व उससे बचाव के सम्बन्ध मे जागरूक किया गया तथा जनजागरूकता अभियान के तहत सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आदि अन्य योजनाओ से संबंधी जानकारी को बताया गया। जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों- 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति टीम थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर-

1.उ0नि0 कृष्ण कुमार पांडेय

2.रि0आ0 धीरेन्द्र कुमार

3.म0आ0 कंचन सिंह

4.रि0म0आ0 पूजा यादव

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत थाना इटवा मिशन शक्ति टीम द्वारा ग्राम-कमदालालपुर की महिलाओं/बालिकाओं को एकत्रित कर महिला संबंधी अपराध, साइबर फ्रॉड व उससे बचाव के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी दी गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनाकं 07.07.2026 को प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा पवीन प्रकाश के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा थाना इटवा के नेतृत्व में थाना इटवा मिशन शक्ति टीम द्वारा साइबर क्राइम, मिशन शक्ति केंद्र, बहू बेटी सम्मेलन एवं नए कानून, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत ग्राम-कमदालालपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थ नगर की महिलाओं को एकत्रित कर के महिला सशक्तिकरण संबंधी बातों को बताते हुए मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न हेल्पलाइन नंबरो 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 1090, वूमेन पावर हेल्पलाइन 1076, माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 108, एंबुलेंस सेवा 1930, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 102, स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी दी गई की जानकारी।

मिशन शक्ति टीम थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर-

1.उ0नि0 गोपाल

2.हे0का0प्रदीप यादव व हे0का0 सचिंद्र भारती

3.का0सतीश यादव व का0 नितिन यादव

4.म0आ0साधना यादव

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए समर्पित थाना शोहरतगढ़ मिशन शक्ति टीम द्वारा ग्राम अतरी की महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा/साइबर सुरक्षा से सम्बंधित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के बारे मे जानकारी दी गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में, प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में व नवीन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत आज दिनांक 07.07.2026 को थाना शोहरतगढ़ मिशन शक्ति टीम द्वारा ग्राम अतरी की महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा/साइबर सुरक्षा के संबंध मे जागरूक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे में जानकारी दी गयी। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज-5.0 के विषय में महिलाओं को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर, नए कानून के बारे में जानकारी दी गई व नई धाराओं को भी बताया गया।

मिशन शक्ति टीम थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर-

01.उ0नि0 राजकुमार यादव

02.हे0का0 अविनाश सिंह

03.म0का0 रुबी दूबे, शोभा भारती

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत थाना कठेला समय माता मिशन शक्ति टीम द्वारा प्रेम आदर्श विद्या मंदिर की छात्राओं को महिला संबंधी अपराध, साइबर फ्रॉड व उससे बचाव के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी दी गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनाकं 07.07.2026 को प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व मयंक द्विवेद्वी क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में अरुण कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के तहत थाना कठेला समय माता मिशन शक्ति टीम द्वारा प्रेम आदर्श विद्या मंदिर की छात्राओं को मिशन शक्ति फेज 5.0 द्वितीय चरण का उदघोष नारी सुरक्षा, नारी सम्मान ,नारी स्वावलंबन तथा “नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान” महिलाओ की सुरक्षा सम्मान व स्वालंबन को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर देश के सामने एक नयी मिशाल बनाकर पेश करने हेतु जागरूक किया गया जिसमें स्कूल के लगभग 45 बालिकाएं उपस्थित रही जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत ही उपयोगी बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारे आत्म विश्वास को मजबूत करते है तथा हमे अपने जीवन मे मजबूती के साथ सशक्त एवं निडर होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते है। सार्वजनिक स्थलो जैसे चौराहो/बाजारो/कोचिंग संस्थान व को असमाजिक तत्वो व शोहदों/मनचलों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी/अभ्रदता/अश्लील प्रदर्शन व टिप्पणिओ कि घटना से बचने हेतु सभी को शासन द्वारा जारी महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन जैसे 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन, यू0पी0 112 पुलिस सहायता हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड केयर हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन, 102 एम्बुलेंस सेवा (गर्भवती महिलाओं के लिए), 101 अग्निशमन हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 9454458050 थाने का सीयूजी नंबर, 9454408325 सीयूजी नंबर मिशन शक्ति केन्द्र, से सम्बन्धित सेवाओं व बृहद स्तर पर चलाये जा रहे “नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान” सम्बन्धी अभियान के तहत शून्य एफआईआर’ की अवधारणा, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्रावधान(कवच परियोजना), प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग से जुड़े प्राविधान तथा हेल्पलाइन व सरकारी योजनाओं से संबंधित पैम्फलेट भी वितरित किए गये।

मिशन शक्ति टीम थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर-

01.उ0नि0 शिव शंकर शर्मा , 02.उ0नि0 नागेन्द्र यादव

03.रि0म0का0 अल्का कुमारी

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆ **मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम में थाना शिवनगर डिड़ई मिशन शक्ति टीम द्वारा ग्राम डडवा राजा की महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान, गुड टच बैड टच, नये कानून, साइबर अपराध सुरक्षा व एंटी रोमियो अभियान के तहत जागरूक किया गया।**

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बांसी शुबेंदु सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी बृजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम थानाक्षेत्र के ग्राम डडवा राजा की महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान, गुड टच बैड टच, नये कानून, साइबर अपराध सुरक्षा व उससे बचाव के संबंध मे जागरुक किया गया तथा सरकार द्वारा मिशन शक्ति फेज 05 (द्वितीय चरण) कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण,एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों-112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन, 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन,1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 181 वीमेन हेल्पलाइन, 101अग्निशमन सेवा आदि के बारे में जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति टीम थाना शिवनगर डिड़ई जनपद सिद्धार्थनगर-

01.उ0नि0 शिवनारायण यादव

02.म0का0 प्रतिमा दूबे

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम में थाना मिश्रौलिया मिशन शक्ति टीम द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम होरिलापुर पूर्वी में महिलाओं/बालिकाओं को महिला अपराध, गुड टच, बैड टच व साइबर अपराध सुरक्षा के संबंध मे जागरूक किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.07.2026 को प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी इटवा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम में थाना मिश्रौलिया मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम होरिलापुर पूर्वी में महिलाओं/बालिकाओं को महिला अपराध, गुड टच, बैड टच व साइबर अपराध सुरक्षा के संबंध मे जागरूक किया गया। तथा मिशन शक्ति फेज 05 (द्वितीय चरण) कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों-112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन, 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन,1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 181 वीमेन हेल्पलाइन, 101अग्निशमन सेवा आदि के बारे में जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति टीम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर-

01.उ0नि0 बबुना यादव

02.रि0म0आ0 शिवानी सोनी

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के क्रम में सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को महिला अपराध, गुड टच, बैड टच व साइबर अपराध सुरक्षा के संबंध मे जागरूक किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा व मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.07.2026 को प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा मीरा चौहान प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वॉड टीम के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत थानाक्षेत्र मोहाना में बर्डपुर, ककरहवा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090, 1098, 112, 181, 1930,108,102आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग करते हुए बॉर्डर पर महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01.उ0नि0 मीरा चौहान प्रभारी एंटी रोमियो स्क्वाड

02.महिला आरक्षी नेहा सिंह एंटी रोमियो स्क्वाड

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के 04 आरोपियो को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को ₹12,00 -12,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 07.07.2026 को वाद सं0-896/2021 NCR-12/2019 धारा 323,504 भा0द0वि0 थाना उसका बाजार में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री आदेश कुमार श्रीवास्तव, न्यायालय एसीजे जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.रामप्रसाद पुत्र टिर्रे 02.नेवाती पत्नी रामप्रसाद 03.सीमा पुत्री रामप्रसाद 04.पूजा पुत्री रामप्रसाद निवासी धुसवाराजा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को ₹12,00-12,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के 02 आरोपियो को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को ₹15,00 -15,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 07.07.2026 को वाद सं0-1194/2020 NCR-96/2019 धारा 323,504 भा0द0वि0 थाना उसका बाजार में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री आदेश कुमार श्रीवास्तव, न्यायालय एसीजे जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.घिसी पुत्र जयश्री 02.कुशमा देवी पत्नी घिसी निवासीगण परसपुर टोला मुड़िला थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को ₹15,00-15,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना ढेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़खानी के आरोपी को 02 वर्ष के साधारण कारावास व ₹3,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम मे आज दिनांक 07.07.2026 को वाद सं0-1339/2006 मु0अ0सं0-141/86 धारा 354 IPC में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री अनुभव कटियार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त साबिर पुत्र महीबुल्लाह निवासी मलगहिया थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को 02 वर्ष के साधारण कारावास व ₹3,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक जयहिन्द त्रिपाठी तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन थाना ढेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार व जनपद में शांति व्यवस्था, सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रो में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 07.07.2026 को प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा जनपद में आगामी त्यौहार व जनपद में शांति व्यवस्था, सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपने-अपने सर्किल, थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिह्नित हॉट स्पॉट पर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त एवम् चेकिंग किया जा रहा है तथा आम जनमानस मे सुरक्षा का एहसास कराते हुये आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना ढेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से आयुध अधिनियम के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹5,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम मे आज दिनांक 07.07.2026 को वाद सं0-800438/1994 मु0अ0सं0-26/94 धारा 25 आयुध अधिनियम में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री अरुण कुमार चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश कुमार दूबे पुत्र अम्बिका प्रसाद दूबे निवासी गनवरिया थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹5,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अभिमन्यु कुमार थाना ढेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना कठेला समयमाता पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस-जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में पुलिस एवं आमजन के मध्य बेहतर समन्वय, आपसी विश्वास तथा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 07 जुलाई 2026 को थाना कठेला समय माता, जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों की बस्ती में एक मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता में प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार के नेतृत्व में थाना कठेला समय माता के अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा स्थानीय युवाओं एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। खेल के दौरान सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन एवं आपसी भाईचारे का परिचय दिया।इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार ने उपस्थित युवाओं एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास का माध्यम है, बल्कि समाज में आपसी सद्भाव, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने युवाओं से नशामुक्त रहकर खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की अपेक्षा व्यक्त की।

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2026 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना चिल्हिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹5,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम मे आज दिनांक 07.07.2026 को वाद सं0-700754/2005 मु0अ0सं0-149/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री अरुण कुमार चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रकेश केवट पुत्र धमालू उर्फ विश्राम केवट निवासी जोगीबारी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹5,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सिकंदर कुमार थाना चिल्हिया का सराहनीय योगदान रहा।